कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख
अधिकारी,पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 430/2021
जीसीएमएस नं. :– 2021/526

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. रामनिवास पुत्र हरीराम 2. रामेश्वरलाल पुत्र हरीराम 3. रामजीवन पुत्र हरीराम 4. रामचन्द्र पुत्र हरीराम 5. राभी पुत्र हरीराम 6. रतन पुत्री हरीराम 7. पेमीदेवी पत्नि हरीराम 8. रामकंवरी पत्नि रामजीलाल 9. भरत पुत्र रामजीलाल 10. नैनाराम पुत्र घेंवरराम सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।		1. बलाराम पुत्र सगताराम 2. बुद्धाराम पुत्र चुनाराम 3. रामकिशोर पुत्र चुनाराम सभी जातियान जाट निवासीगण खांगटा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर। 4. शंकरराम पुत्र सगताराम फौत के कायम मुकाम 4/1 आयचुकी पत्नि स्व. शंकरराम 4/2 पिनकी उर्फ पिनिया पत्नि रामलाल पुत्री स्व. शंकरराम जातियान जाट निवासीगण टालनपुर तहसील मेड़ता सिटी जिला नागौर। 5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :
श्री मंसुर अली छीपा अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री रामदयाल चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 से 3

दर्ज तारीख :– 13.09.2021

निर्णय

दिनांक : 25.01.2023

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 9 की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खांगटा पटवार क्षेत्र खांगटा, तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नं. 2552 रकबा 1.4643 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई हैं जिसमें प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं तथा प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी भूमि के चिपते ही खसरा संख्या 2552 / 2 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं जिसमें प्रार्थी संख्या 1 से 9 का 1/2 व प्रार्थी संख्या 10 का 1/2 हिस्सा निहित हैं जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 2549 रकबा 2. 4432 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय आई हुई है जिसमें अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं तथा उक्त खसरा संख्या 2549 प्रार्थीगण के खसरा संख्या 2552 / 2 के चिपते ही स्थित है तथा दोनो पक्षकारानों के मध्य खेतो की माठ को लेकर यानि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 2552 व 2562 / 2 की माठो को लेकर अप्रार्थीगण से हर समय विवाद रहता है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेतों की माठ की तरफ अपना हक व हिस्सा बताते है जिससे दोनो पक्षों के मध्य आपसी तनाव रहता है। प्रार्थीगण ने अपने

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

खसरा संख्या 2552 व 2552 / 2 के सीमांकन व पत्थरगढी हेतु भूमिधारी तहसीलदार के समक्ष निवेदन किया था। भूमिधारी ने पत्थरगढी हेतु सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण को कहा इसलिए प्रार्थीगण के पास श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा संख्या 2552 व 2552 / 2 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त हैं ताकि प्रार्थीगण को पता चल सके कि उनके खेत की सीमा कहाँ तक हैं तथा प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्या 2552 व 2552 / 2 के चारो तरफ चार दीवारी करवाना चाहते हैं जिससे कि खेत की सुरक्षा रहे लेकिन अप्रार्थीगण सीमाज्ञान नहीं करने देते इसलिए प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पत्थगढी एवं सीमांकन के लिये प्रस्तुत किया जा रहा हैं तथा प्रार्थीगण के पास इस प्रार्थना पत्र को न्यायालय के समक्ष पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं। प्रार्थीगण के खसरा संख्या 2552 व 2552/2 की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाने से अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं हैं तथा प्रार्थीगण सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु आवश्यक दस्तावेज मोमीट्रेस नक्शा प्रमाणित जमाबंदी मय नक्शा व उचित राजस्व शुल्क अदा करने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 2552 रकबा 1.4643 हैक्टयर व खसरा नम्बर 2552/2 रकबा 0.0243 हैक्टयर की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश फरमाया जावें एवं अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो अता फरमाया जावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से वकील रामदयाल चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं. 4/1 व 4/2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अप्रार्थी सं. 1 से 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया जाकर सीधे ही बहस में भाग लिया गया और लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 2552 रकबा 1.4643 हैक्टयर व खसरा नम्बर 2552/2 रकबा 0.0243 हैक्टयर की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने का भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में निवेदन किया है कि मौके पर वादग्रस्त जमीन के सीमाज्ञान को लेकर कोई विवाद नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के गलत तथ्यो पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की जमीन हड़पने का प्रयास किया जा

उप खण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

रहा है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चे हर्जे के खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह प्रतीत होता हे कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आरजी का नापचौप करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम खांगटा के खसरा नम्बर 2552 रकबा 1.4643 हैक्टयर व खसरा नम्बर 2552/2 रकबा 0.0243 हैक्टयर भूमि का टीम गठित कर नापचौप एवं सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करावें। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो, बाद पैमाईश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया ।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
पीपाड़ शहर